GOVERNMENMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF HOME-PRESS
5th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002

PRESS NOTICE TO THE PUBLISHERS/PRINTERS

In pursuance of the provisions under section 9 and 11-A of Press & Registration of Books Act. 1867, vide which it is mandatory upon all the Printers/Publishers/Editors to deliver two copies of every issue of daily/weekly/fortnightly/monthly/half-yearly or annual Newspapers & Magazines published in Delhi regularly on every working day and two copies of every book printed/published by them within one calendar month after the day on which it was first delivered out of the Press, **free of cost** to the State Government. However, it has been noticed that some of the Printers/Publishers of Delhi are not delivering or sending Newspapers, Magazines and Books to the State Press Office regularly, which is in contravention to the provisions of Press & Registration of Books Act 1867.

Therefore, all the Printers/Publishers/Editors of News Papers and Magazines in Delhi are hereby directed to make arrangement to deliver, two copies of every issue of daily/weekly/fortnightly/monthly/ half-yearly or annual Newspapers & Magazines published by them, regularly on every working day **free of cost,** in the State Press Office at the above mentioned address.

Besides, all the Printers/Publishers of Books in Delhi are hereby directed to make arrangement to deliver or supply one copy of each book printed or published at their respective press to State Press Office at the above mentioned address and one copy of each of such book to the Joint Director, Parliament Library, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, **free of cost,** within one calendar month after the day on which it was first delivered out of the Press, under intimation to the State Press Office.

Any violation of above notice shall hold all the defaulter Printers/Publishers/ Editors, liable for legal action under section 16 & 16-A read with the relevant provisions of Part –IV of the Press & Registration of Books Act, 1867.

-Sd-

(G.S. PATNAIK)
PRINCIPAL SECRETARY (HOME)
Govt. of National Capital Territory of Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(गृह–प्रैस विभाग)
पांचवां तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–2

प्रकाशकों/मुद्रकों के लिये प्रैस सूचना

प्रैस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 9 तथा 11–क के प्रावधानों के अनुसरण में जिनके अनुसार सभी मुद्रकों/प्रकाशकों/सम्पादकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे दिल्ली में प्रकाशित अपनी दैनिक/ साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/अर्धवार्षिक या वार्षिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रत्येक प्रकाशन की दो प्रतियाँ प्रत्येक कार्यदिवस को तथा उनके द्वारा प्रकाशित/मुद्रित प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रथम बार छपने पर एक कलैण्डर मास के भीतर राज्य सरकार को निःशुल्क भेजी जाएंगी । तथापि, पाया गया है कि दिल्ली के कुछ मुद्रक/प्रकाशक राज्य प्रैस कार्यालय को नियमित रूप से समाचार–पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें नहीं भेज रहे हैं जो कि प्रैस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

इसलिये दिल्ली के सभी समाचार–पत्रों तथा पत्रिकाओं के समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों /सम्पादकों को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उनके द्वारा प्रकाशित दैनिक/साप्ताहिक/ पाक्षिक/मासिक/अर्धवार्षिक या वार्षिक समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रत्येक प्रकाशन की दो प्रतियाँ नियमित रूप से प्रत्येक कार्य दिवस को, निःशुल्क, उपरोक्त पते पर राज्य प्रैस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें ।

इसके अलावा दिल्ली में पुस्तकों के समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों को एतद्द्वारा निदेश दिये जाते हैं कि वे अपनी प्रैस में मुद्रित या प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति राज्य प्रैस कार्यालय के उपरोक्त पते पर तथा इन पुस्तकों की एक प्रति प्रैस से पहली बार छपने पर एक कलैण्डर मास के भीतर राज्य प्रैस कार्यालय को सूचना देते हुये संयुक्त निदेशक संसद पुस्तकालय, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली को निःशुल्क भिजवायें

उक्त सूचना के उल्लंघन पर सभी चूककर्ता मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक के विरूद्ध प्रैस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के भाग–4 के संबंधित उपबंधों के साथ पठित धारा 16 तथा 16–ए के अधीन कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

–ह०–
(जी.एस.पटनायक)
प्रधान सचिव (गृह)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार